केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों पर ऋण-भार

2277. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1994 तक केन्द्रीय सरकार और सभी राज्य सरकारों पर कुल कितना ऋण देय है;

(ख) सकल राष्ट्रीय आय में ऋण भार की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों से सकल राष्ट्रीय आय की प्रतिशतता के रूप में कुल ऋण-भार में निरन्तर वृद्धि होती रही है;

(घ) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऋण भार को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवी प्रसाद पाल): (क) एवं (ख) वर्षांत में ही स्थिति दी जा सकती है, न कि वर्ष के मध्य में। 1994-95 (संशोधित अनुमान) के अंत में सरकारी खाते (बही मूल्य पर) में विदेशी ऋण को मिलाकर भारत सरकार के कुल बकाया सार्वजनिक ऋण एवं अन्य देयताएं 541329 करोड़ रुपये थी और यह सकल घरेलू उत्पाद का 59.6% होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन (1994-95) के अनुसार 1994-95 (संशोधित अनुमान) के अंत में राज्य की कुल बकाया देयताएं 1,84,020 करोड़ रुपए थीं जिसमें से 1,17,241 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार द्वारा ऋण दिया गया था।

(ग) एवं (घ) 1992-93 के आगे सभी स्रोतों से केन्द्र सरकार का निवल उधार (राजकोषीय घाटा संबंधित वर्ष के सकल-घरेलू उत्पाद के प्रश्न सहित नीचे तालिका में दिया गया है।

वर्ष	कुल उधार (निवल) (करोड़ रुपए)	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में
1992-93	40173	5.7
1993-94	60257	7.7
1994-95 (संशोधित अनुमान)	61035	6.7
1995-96 (बजट अनुमान)	57654	5.5

(ङ) कर राजस्व तथा अन्य ऋण-भिन्न प्राप्तियों को अधिकतम करने को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि उधार लिए गए ऋण पर निर्भरता कम की जा सके। स्थिति का ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण किया जाता है।

बैंकों में जमा और ऋण का अनुपात

2278. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार राज्य स्थित बैंकों में जमा और ऋण का अनुपात क्या है;

(ख) देश के अन्य राज्यों में स्थित बैंकों में जमा और ऋण के अनुपात का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकों द्वारा दिया गया प्रति व्यक्ति ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में इस ऋण की धनराशि सबसे कम है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में जमा-ऋण संतुलन बनाये रखने के लिये क्या उपाय करने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देबी प्रसाद पाल): (क) और (ख) मार्च 1993, 1994 और 1995 को समाप्त वर्ष के लिए बिहार के ऋण-जमा अनुपात सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्य-वार ऋण जमा अनुपात संलग्न विवरण-I में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) प्रति व्यक्ति ऋणों और जमाराशियों तथा ऋण का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण (नीचे देखिए) और अनुपत्र में दिया गया है। (देखिए परिशिष्ट 175, अनुपत्र संख्या 53)

(ङ) राज्य में ऋण जमा अनुपात बढ़ाने के लिए अर्थोपायों के सुझाव देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने कृतिक बल का गठन किया है। सिफारिशों का ब्यौरा आगे विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्य-वार ऋण जमा अनुपात अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार

राज्य	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995
हरियाणा	55.5	50.3	46.7
हिमाचल प्रदेश	31.8	28.6	26.3
जम्मू व कश्मीर	44.5	45.7	42.8
पंजाब	42.5	42.0	41.4
राजस्थान	55.2	49.2	46.0
चंडीगढ़	50.6	83.8	115.8
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	88.9	73.8	74.6
अरुणाचल प्रदेश	13.8	13.1	11.3
असम	48.8	42.8	38.0
मणिपुर	84.3	72.1	55.6
मेघालय	16.9	15.7	15.8
मिजोरम	20.9	20.5	15.4
नागालैंड	40.4	41.5	35.4
त्रिपुरा	58.3	56.2	45.7
बिहार	**38.8**	**36.1**	**33.2**
उड़ीसा	66.7	61.0	54.1
सिक्किम	24.3	22.0	24.3
प० बंगाल	52.2	46.5	54.4
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	29.1	18.6	17.8
मध्य प्रदेश	62.3	56.0	53.3
उत्तर प्रदेश	42.4	37.2	35.0
गोवा	30.6	25.5	26.5
गुजरात	52.4	46.3	46.3
महाराष्ट्र	61.2	61.9	70.3
दादरा व नगर हवेली	29.1	20.5	15.5
दमन व दीव	17.7	15.4	14.5
आन्ध्र प्रदेश	80.0	71.5	75.7
कर्नाटक	75.1	70.1	67.8
केरल	48.7	44.3	44.9
तमिलनाडु	87.1	86.8	91.2
लक्षदीप	9.9	9.3	9.9
पाण्डिचेरी	44.8	42.2	44.0
अखिल भारत	**60.5**	**56.6**	**59.2**

विवरण II

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार) प्रति व्यक्ति बकाया सकल बैंक ऋण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रति व्यक्ति सकल बैंक ऋण (रुपए)		
	मार्च 1992	मार्च 1993	मार्च 1994
हरियाणा	1447	1621	1689
हिमाचल प्रदेश	1000	1091	1134
जम्मू व कश्मीर	1087	1222	1497
पंजाब	2255	2562	2931
राजस्थान	756	865	899
चंडीगढ़	15231	14052	25334
दिल्ली	15438	20493	21714
अरुणाचल प्रदेश	281	301	316
असम	516	551	544
मणिपुर	419	457	458
मेघालय	421	412	438
मिजोरम	321	318	315
नागालैंड	705	750	727
त्रिपुरा	608	676	360
बिहार	**442**	**474**	**488**
उड़ीसा	672	724	724
सिक्किम	676	675	619
प० बंगाल	1576	1759	1798
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	726	755	559
मध्य प्रदेश	795	848	868
उत्तर प्रदेश	706	743	748
गोवा	4271	4963	4786
गुजरात	1735	1963	2022
महाराष्ट्र	4081	4832	5187
दादरा व नगर हवेली	629	566	519
दमन व दीव	1374	1396	1505
आन्ध्र प्रदेश	1441	1603	1681
कर्नाटक	1914	2150	2265
केरल	1641	1898	2103
तमिलनाडु	2670	2856	3186
लक्षदीप	294	247	255
पाण्डिचेरी	2116	2296	2517
अखिल भारतीय	**1639**	**1876**	**2000**

विवरण III

बिहार में ऋण जमा अनुपात पर कृतिक बल की मुख्य सिफारिशें

संक्षेप में कृतिक बल की सिफारिशें निम्नानुसार थीं:—

I. **कृषि**

(क) कृषि के उन्नत तरीकों का अंगीकरण और निदेश वस्तुओं का बेहतर उपयोग।

(ख) अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को उगाने वालों को ऋणों का बेहतर प्रवाह।

(ग) सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने के लिये उपयुक्त क्षेत्रों में लिफ्ट सिंचाई योजना का संस्थापना।

(घ) बेहतर नस्ल के जानवरों वाली लघु डेयरी की स्थापना।

(ङ) शीत भंडारण (कोल्ड स्टोरेज) सुविधाओं की स्थापना।

(च) जलीय उत्पादन संबंधी क्रिया-कलापों को प्रोत्साहन।

II. उद्योग

(क) 30 लाख रु० से अनधिक की परियोजना लागत वाले एककों को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ही कार्यशील पूंजी के स्थान पर सावधि ऋण प्रदान किया जाना।

(ख) मझौले और बड़े उद्योगों की स्थापना जिससे रोजगार की सुविधा उत्पन्न हो और इसके सहायक उद्योगों की भी स्थापना हो।

(ग) रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करने के लिए स्थायी कृतिक बल की स्थापना।

(घ) बैंकों द्वारा आवश्यकता पर आधारित कार्यशील पूंजी का विस्तार।

(ङ) रुग्ण एककों का पुनरुद्धार करते समय अधिक सहायता पूर्ण दृष्टिकोण अपनाना।

(च) संभावित उद्यमियों की पहचान के लिए संस्थान व्यवस्था स्थापित करना।

III. सेवा क्षेत्र

पोली क्लीनिक शहरी वनस्पति बागवानी जैसी सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।

IV. उद्यमवृत्ति विकास कार्यक्रम

वर्तमान इकाइयों के उद्यमियों को ई डी पी प्रदान करना और उद्यमी विकास संस्थान को मजबूत बनाना।

V. संसाधन

(क) आधारभूत सुविधा के विकास के लिए योजना व्यय के आवंटन को बढ़ाना।

(ख) विद्युत, संचार और परिवहन सुविधाओं की आपूर्ति में वृद्धि करना।

(ग) सावधि ऋणदात्री संस्थाओं को मजबूत बनाना।

(घ) राज्य के ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका में बढ़ोतरी करना।

VI. योजना

योजनायें तैयार करने और उस पर निगरानी रखने में बैंकों और सरकारी कार्यकर्त्ताओं द्वारा समन्वित दृष्टिकोण अपनाना। नियंत्रित कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शाखाओं के कार्यनिष्पादन बजट ऐसी गतिविधियों को पर्याप्त रूप से कवर करते हों जिनकी सम्भाव्यता है। बैंकों के प्रधान कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य को पर्याप्त ऋण उपलब्ध है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बिना किसी प्रतिबंध के गैर-लक्ष्य समूह को ऋण देने की अनुमति देकर मजबूत किया जाना चाहिए। ऋण वितरण प्रणाली में स्वयं सेवी संगठनों को शामिल किया जा सकता है।

VII. कार्यान्वयन

(क) डी सी सी और नियंत्रक कार्यालयों द्वारा शाखा की योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावकारी समीक्षा।

(ख) बैंकों और संस्थागत वित्त निदेशालय के बीच और अधिक बैठकें।

(ग) बैंकों द्वारा स्वीकार योजनाओं के संबंध में अधिक प्रचार तथा ऋण अवसरों की उपलब्धता।

VIII. निगरानी

(क) जिला परामर्शदात्री समिति (डी सी सी) में अधिक सार्थक विचार-विमर्श तथा डी सी सी एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) बैठकों में लिए गए निर्णयों का समुचित अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए एस एल बी सी को सक्रिय बनाना।

(ख) अग्रणी बैंक योजनाओं के तहत सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।

IX. वसूली

(क) दोनों बैंकों तथा सरकार द्वारा वसूली के उत्तरदायित्व का बंटवारा और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार करना।

(ख) अनुकूल वसूली वातावरण बनाना। वसूली कार्यों में गैर-कृषि ऋणों को शामिल किया जा सकता है। एस एल बी सी के परामर्श से

पृथक विशेष वसूली प्रकोष्ट स्थापित किए जा सकते हैं।

कृतिक बल की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व एस एल बी सी को सौंप दिया गया है।

Bringing down the qualifying land holding limit for buying tractor

2279. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the proposal to bring down the qualifying land holding limit for availing loan for buying tractor for domestic use was under the consideration of Government; and

(b) if so, what is the present position?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Setting up of National Tourism Board

2280. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether some of the leading Hotel Managements have requested Government to set up National Tourism Board and also consider creation of special funds for development of tourism in the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

Resentment on regularisation of Junior Floor Assistants in Delhi Doordarshan

2281. SMT. ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the number of floor assistants working in Doordarshan (Delhi) since 1984-85, out of them the number of floor assistants working as casual assistants on contract basis since then;

(b) the number of casual assistants absorbed in Doordarshan till date;

(c) whether there has been resentment and representation against the appointment of most junior, floor assistants on regular basis ignoring the seniority of others in the same cadre;

(d) if so, the details thereof; and

(e) by when the services of the floor assistants working in Delhi Doordarshan will be regularised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P.M. SAYEED): (a) Total number of floor assistants working in Doordarshan (Delhi) since 1984-85 is 218, out of which 188 are working on casual assignment basis.

(b) So far 102 Casual Floor Assistants have been regularised in Doordarshan.

(c) and (d) Representations are being received from casuals, from time to time, alleging that their juniors are being regularised ignoring their seniority. These representations are examined on the basis of norms and guidelines prescribed in the schemes, approved by Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi, for regularisation of casuals and necessary action is taken accordingly.

(e) The regularisation of Casual Floor Assistants will depend upon the future availability of vacancies. Therefore, it is difficult to predict any definite time-frame for this purpose.